दां.प्रकी.(जमा.) 4439/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सुराणा,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि अभियुक्तगण से तफ्तीश हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में है। मजिस्ट्रेट ट्रायल का प्रकरण है। अभियुक्तगण फरार नहीं होंगे न जमानत का दुरूपयोग करेंगे, अत: उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि अभियुक्तगण के कब्जे से काफी मात्रा में शराब की बोतले बरामद हुई है, अत: जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल का प्रकरण है, अभियुक्तगण से तफ्तीश हो चुकी है, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण जब्बरसिंह पुत्र भोपसिंह एवं उगमसिंह पुत्र मगसिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति

हेतु, प्रत्येक प्रार्थी बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा